18-12-2014

राज्य द्वारा एडी.पी.ओ.। आरोपी अनुपस्थित।

आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट अदम तामिल इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त की आरोपी सुशील कुमार की दिनांक-01.03.2013 को मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में थाना प्रभारी बैहर की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

मृत्यु प्रमाण पत्र से मिलान करने पर यह दर्शित होता है कि आरोपी सुशील कुमार पिता मेहतलाल की मृत्यु दिनांक-01003.2013 को होने से एवं प्रकरण में अन्य आरोपी नहीं होने से प्रकरण का विचारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जावे। सम्पति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। प्रकरण की नस्ती विधिवत् अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

> (सिराज अली) न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी, बैहर

त्तः त्रम श्रेषः,